न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./10/2015/बाड़मेर

अपीलांट

उमा पुत्र चतरा उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासी हरपूनियो वाला (बिसारणिया) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.मोटाराम पुत्र भीखाराम उम्र 26 वर्ष
2.पदमाराम पुत्र भीखाराम उम्र 24 वर्ष
3.चतरू बेवा भीखाराम उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी हरपूनियों वाला (बिसारणिया) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।
4.तहसीलदार चौहटन

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 160/2012 बअनवान मोटाराम वगैरा बनाम उमा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्र चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री फताराम गोदारा रेस्पोडेंट की आर से।

निर्णय

दिनांकः— 09.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पिता चतरा थे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का पैतृक खेत मौजा हरपूनियो वाला पटवार क्षेत्र बिसारणिया तहसील चौहटन में खसरा संख्या 460 रकबा 04 बिस्वा गैर मुमकिन व खसरा संख्या 528/461 रकबा 279 बीघा कुल रकबा 279.04 बीघा का आया हुआ है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी/अपीलांट का 1/2 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसमें तहसीलदार को कमीश्नर नियुक्त किया गया तथा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश पारित हुए। अधीनस्थ न्यायालय में आए विभाजन प्रस्ताव मौके व कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं होने के कारण विरोध किया तथा पुनः विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार करने का अपीलांट/प्रतिवादी निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन को नजरदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपीलांट के हिस्से में अनउपजाऊ व निम्नगुणवता की धोरे वाली जमीन का एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदर चौहटन द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का व आर आई द्वारा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जबकि विभाजन का प्रस्ताव भूमिधारक स्वयं द्वारा मौके पर जाकर ऐसे विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का दिन निश्चित कर वाद प्रकरण के पक्षकारों/सहखातेदारों को लिखित सूचना इस आशय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की देगा कि उक्त कृषि भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा तकासमा किया जाना है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक ही जगह बैठकर कागजी कार्यवाही कर बिना अपीलकर्ता को सूचना दिये ही विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा बिना अपीलकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर दिये तैयार किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है जबकि विभाजन के मामले में तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पेश करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारों की सहमति से पारित करने के बाद रास्ते का समर्पण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes &

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Bounds सिद्धांत के आधार पर किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त भी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई जिससे अपीलांट को अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर उजर एतराज प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व वाद संख्या 160/2012 बअनवान मोटाराम वगैरा बनाम उमा वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

09/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner